

## मदरसों में दाखलि की न्यूनतम उम्र तय करने के लिये राज्य सरकार बनाएगी समति

### चर्चा में क्यों?

16 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानशि आज़ाद अंसारी ने बताया कि राज्य के मदरसों में दाखलि के लिये न्यूनतम आयु सीमा नरिधारति करने को लेकर एक समति बनाई जाएगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आयु नरिधारण संबंधी नरिणय लया जाएगा।

### प्रमुख बदि

- अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानशि आज़ाद अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार केंद्रीय माध्यमकि शिक्षा बोर्ड (CBSE) और काउंसलि फॉर द इंडियन स्कूल सर्टफिकेट एग्जामनिशन (CISCE) समेत वभिनिन शिक्षा परिषदों की तरज़ पर राज्य के मदरसों में भी दाखलि के लिये न्यूनतम आयु सीमा तय करेगी।
- इसी के साथ उन्होंने छात्रों की अधिकतम आयु सीमा तय करने पर वचिर कयि जाने की अटकलों को सरि से खारजि करते हुए कहा कि मदरसों में दाखलि के लिये अधिकतम उम्र तय करने का सरकार का कोई वचिर नहीं है।
- प्रदेश के मदरसा शिक्षकों के संगठन 'टीचर्स एसोसिएशन मदरसि अरबया उत्तर प्रदेश' के महासचवि दीवान साहब जमां खॉ ने बताया कि राज्य के मदरसों में कक्षा एक में प्रवेश के लिये छात्रों की न्यूनतम आयु पाँच साल और कक्षा 10 में दाखलि के लिये न्यूनतम आयु 14 साल पहले से ही नरिधारति है।
- उत्तर प्रदेश में 16,461 मदरसे हैं, जनिमें से 560 को सरकारी अनुदान प्राप्त होता है। अनुदान के अंतरगत मदरसों के शिक्षकों और गैर-शिक्षणकर्मयिों को वेतन-भत्ते का भुगतान कयि जाता है।
- उल्लेखनीय है कि भिई 2022 में मुखयमंत्री योगी आदतियनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण वभिग की ओर से पेश कयि गए प्रस्ताव पर यह फैसला लया गया कि राज्य में अब नए मदरसों को सरकारी अनुदान नहीं मलिगा।